



सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 16 फाल्गुन, 1946 (श०)
07 मार्च, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 01

(1) विधि विभाग	..	..	..	01
कुल योग --				<u>01</u>

नियुक्ति करना

5. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (नबीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 7 फरवरी, 2025 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "बिहार में 17.67 लाख मुकदमें पाँच साल से लम्बित" के आलोक में क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 1200 से अधिक पी0पी0 और ए0पी0पी0 के पद लगभग 6 वर्षों से अधिक समय से रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के निचली अदालतों में न्यायिक सेवा के अधिकारियों की कमी के कारण प्रति न्यायिक सेवा के अधिकारियों के जिम्मे लगभग 2323 मुकदमें सुनवाई के लिये रहते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त रहने के कारण राज्य में 17.67 लाख मुकदमें पाँच साल से लम्बित है जिससे न्याय में विलम्ब होता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों के पद को रिक्त रखने का क्या औचित्य है ?

पटना ;

दिनांक 7 मार्च, 2025 (ई0) ।

ख्याति सिंह,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025